बिहार विधान सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बुधवार, तिथि १८ अप्रील १९५६ को पूर्वाह्न ११ बजे में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

Short Notice Questions and Answers.

मथुरा राम की पत्नी पर कुन्दों का प्रहार।

२३४। श्री यमुना राम—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि घोड़ासहन के दारोगा ने श्री मथुरा राम हरिजन, मंत्री, थाना कांग्रेस कमिटी की धर्मपत्नी पर बन्दूक के कुन्दों का प्रहार किया, जिससे गोद का बच्चा गिर गया और महिला को घंटों बेहोश रहना पड़ा;

(२) क्या यह बात सही है कि वहीं की अन्य हरिजन महिलाओं को अपमानित किया गया जिसकी सूचना अधिकारियों को हरिजनों ने दी है;

(३) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इस पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—(१) उत्तर नकारात्मक है।

(२) घोड़ासहन के कुछ हरिजनों ने एक आवेदन-पत्र दिया है जिसमें लिखा है कि दारोगा उनके घर पर गये और एक असामी को खोज रहे थे और उसके संबंध में उन्होंने गाली-गलौज किया। परन्तु उस आवेदन-पत्र में किसी हरिजन महिला को बन्दूक से मारने का अभियोग नहीं लगाया गया है। आवेदन-पत्र की जांच की जा रही है।

(३) यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री शिवनन्दन राम—जिस आदमी को वह दारोगा खोज रहा था उसका किस केस से ताल्लुक है?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—इसकी खबर मेरे पास अभी नहीं है। इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री राम अयोध्या प्रसाद—क्या यह बात सही है कि जिस व्यक्ति की पत्नि पर बन्दूक से प्रहार किया गया था, यानी श्री मथुरा राम ने चीफ मिनिस्टर के यहां लिखित शिकायत भेजी है?

अध्यक्ष—यहां पर यह सवाल कैसे उठता है?

MURDERS OF ADIVASIS.

715. Shri BHOLANATH BHAGAT : Will the Chief Minister be pleased to state—

(1) whether it is a fact that a large number of Adivasi labourers, males and females, returning from Tea gardens of Assam with money were attacked by a mob on 11th April 1956 near Warsaliganj (Nawadah) in Kiul-Gaya passengers train ;

(2) whether it is a fact that several Adibasis laid down their lives in that attack ;

(3) whether it is a fact that a totally wrong picture is given of the incident and a number of Adivasis including females have been put under arrest describing them to be the members of a gang ;

(4) if answers to the above clauses be in the affirmative, do Government propose to make a prompt enquiry into the sad incident and save the innocent 'Adivasis' from the hands of the miscreants ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—(१) उत्तर हां है।

(२) पांच आदिवासी मारे गये और तीन घायल हुए। घायल व्यक्तियों में से एक की मृत्यु अस्पताल में हो गयी।

(३) इसका उत्तर ना है। १२ अप्रील १९५६ को गवर्नमेंट ने एक प्रेस नोट जारी किया था।

(४) ११ अप्रील १९५६ को सूचना पाने के बाद एस० डी० ओ० और डी० एस० पी० फौरन घटनास्थल पर गये तथा इस मामले की जांच की। जिनको चोट लगी थी उनको अस्पताल में लाया गया और दवा-दारू का प्रबंध किया गया। इसमें दो मुकदमें दायर किये गये हैं, एक आदिवासी के ब्यान पर और दूसरा स्टेशन मास्टर, गया के ब्यान पर। तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और वे लोग हाजत में हैं। दोनों मामले की जांच पुलिस कर रही है सुपरिंटेंडेंट, रेलवे पुलिस की देख-रेख में।

---

716. Shri S. K. BAGE : Will the Chief Minister be pleased to state the full details and circumstances under which the incident took place near Warsaliganj on 11th April 1956 in which certain Adivasis were murdered in Kiul-Gaya passenger ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—११ अप्रील १९५६ को वारसलीगंज के मिल के कैशियर किउल-गया पैसेंजर ट्रेन पर तीन हजार रुपया के साथ सवार हुए। इस ट्रेन में आदिवासी बहुत संख्या में सफर कर रहे थे। ९ बजे जब गाड़ी वारसलीगंज पहुंची तब कैशियर और एक आदिवासी में कुछ बातों का झगड़ा हुआ जिसका नतीजा यह हुआ कि जैसा कि कहा जाता है कि आदिवासियों ने कैशियर पर आक्रमण किया। जब कैशियर के साथ वाले मुलाजिमों ने इसमें दखल देना चाहा तो ५ और आदिवासी ने इन पर धावा

किया; जैसा कि कहा जाता है। इस समय तक गाड़ी प्लेटफार्म से आगे बढ़ चुकी थी लेकिन जब एलार्म किया गया तब गार्ड ने गाड़ी को रोक दी। १०० आदमियों ने जमायत में आदिवासियों को मारना शुरू किया जिसका नतीजा यह हुआ कि ५ मारे गये और ३ घायल हुए। कैशियर और वे लोग जिनको चोट लगी थी, अस्पताल पहुंचाये गये और सबों को मेडिकल ऐड दिया गया। इनमें एक आदमी पीछे मर गया। एस० पी०, डी० एस० पी० और एस० डी० ओ० फौरन घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की। एक आदिवासी और दूसरा वारसलीगंज के स्टेशन मास्टर के ब्यान पर पुलिस की जांच जारी है। इस मामले की देख-रेख रेलवे पुलिस के सुपरिंटेंडेंट कर रहे हैं।

श्री भोला नाथ भगत—अभी सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि कैशियर घायल हुआ तो उनकी इनजरी रिपोर्ट क्या है?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—इनजुरी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि छूरे से घायल किए गए थे।

श्री भोला नाथ भगत—क्या यह बात सही है कि जहां पर वारसलीगंज मिल है वहीं पर गाड़ी खड़ी की गई थी?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—गाड़ी तो वारसलीगंज स्टेशन से चल चुकी थी लेकिन जब एलार्म हुआ तब गार्ड ने गाड़ी रोक दी। एग्जैक्टली गाड़ी मिल के सामने खड़ी हुई या आगे पीछे खड़ी हुई इसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता हूं मगर यह जरूर है कि डिसटेंट सिगनल के इधर ही गाड़ी रोक दी गई थी।

श्री भोलानाथ भगत—जिस आदिवासी के ऊपर केस किया गया है उसका नाम क्या है?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—आदिवासी पर केस किया गया है ऐसा तो मैंने कहा नहीं। मैंने कहा कि जो आदिवासी अस्पताल में हैं उनका स्टेटमेंट लिया गया है। उनके स्टेटमेंट पर और वारसलीगंज के स्टेशन मास्टर के स्टेटमेंट पर एफ० आई० आर० कायम किया गया है और उसी पर केस का इनभेस्टिगेशन प्रोसीड कर रहा है।

श्री भोलानाथ भगत—किस तरफ से मौब आयी? मिल की तरफ से आयी या किसी दूसरी तरफ से आयी?

अध्यक्ष—यह जेरेतजवीज है इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री एस० के० बागे—जहां पर यह घटना हुई वहां से पुलिस-स्टेशन कितनी दूरी पर है?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—करीब-करीब दो-तीन फर्लांग पर है।

श्री एस० के० बागे—घटना घटने के बाद कितनी देर तक गाड़ी रुकी रही?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—इसका इनफोर्मेशन मेरे पास अभी नहीं है।

श्री एस० के० बागे—कितनी देरी के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, यह घटना तो रेलवे लाइन पर घटी इसलिए यह केस रेलवे पुलिस के जुरिस्डिक्शन में आ गया और इसलिए जो ऑडिनरी पुलिस-स्टेशन है उससे इस केस का सम्बन्ध नहीं है।

श्री एस० के० बागे—सरकार का कहना है कि रेलवे पुलिस का जुरिस्डिक्शन था और ऑडिनरी पुलिस का नहीं था तो कितनी देरी के बाद रेलवे पुलिस वहां पहुंची?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—इसकी सूचना तो अभी मेरे पास नहीं है लेकिन मैं इसकी जांच करा दूंगा।

श्री एस० के० बागे—अगर कहीं पर कोई घटना हो जाय और पुलिस-स्टेशन बगल में ही हो तो वहां से पुलिस नहीं जायगी और रेलवे पुलिस के लिए आशा देखती रहेगी?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—पुलिस बैठी रहेगी, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि वारसलीगंज रेलवे पुलिस आई थी या नहीं इसकी जांच कराऊंगा।

श्री एस० के० बागे—कितनी देर के बाद जी० आर० पी० ने इंक्वायरी शुरू की?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—उसी दिन पुलिस ने इंक्वायरी की। ११ तारीख को ९॥ बजे घटना घटी और ११ बज कर २० मिनट में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी।

श्री एस० के० बागे—इतनी भीषण दुर्घटना हुई, कितनों की जान गई तो क्या सरकार इसमें जुडिशियल इंक्वायरी करायेगी?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—पुलिस जांच कर रही है। मैं माननीय सदस्य को अश्योर करता हूं कि इसमें फुलेस्ट इनभेस्टिगेशन किया जायगा और जो गिल्टी साबित होंगे उन्हें अपरिहेन्ड किया जायगा।

श्री एस० के० बागे—जुडिशियल इंक्वायरी के बाद साबित न हो कि फलां आदमी था तो क्या वहां के लोगों पर कलेक्टिव फाइन लगायेगी?

अध्यक्ष—ऐसा प्रश्न नहीं हो सकता है।

श्री इगनेस कुजूर—मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ५ आदिवासी, जिनकी हत्या हुई वे उसी कम्पार्टमेंट में, जहां बैठे थे, मारे गए या खींच-खींच कर निकाला गया, तब उन्हें मारा गया?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—बाहर मारे गए।

श्री इगनेस कुजूर—मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि केवल आदिवासियों को ही कम्पार्टमेंट से निकाल-निकाल कर मारा गया और पीटा गया, यह बात सही है या नहीं?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—जो मारे गए वे आदिवासी हैं।

श्री इगनेस कुजूर—केवल आदिवासी को ही खींच-खींच कर हरेक कम्पार्टमेंट से निकाला गया और लाठी से मारा गया?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हरेक कम्पार्टमेंट से निकाले गए लेकिन जितने लोगों को चोट लगी और मारे गए वे सभी आदिवासी थे।

श्री इगनेस कुजूर—जिस कम्पार्टमेंट से पांचों आदिवासी निकाले गए उसमें गैर-आदिवासी थे या नहीं?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

अध्यक्ष—मालूम पड़ता है कि कैशियर आदिवासी नहीं थे।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—कैशियर आदिवासी नहीं थे इसमें कोई बात नहीं है लेकिन बात यह है कि इस तरह से आर्गुमेंट हम नहीं कर सकते हैं। हर कम्पार्टमेंट से निकाले गये इसके बारे में हम जवाब नहीं दे सकते हैं।

श्री इगनेस कुजूर—मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जिस कम्पार्टमेंट से ५ आदमी को खींच कर और निकाल कर मारा गया उसमें कोई युवती थी या नहीं?

अध्यक्ष—यह आप कैसे जानते हैं कि एक ही कम्पार्टमेंट से निकाले गये। यह बात आप कहां से लाये।

श्री इगनेस कुजूर—माननीय मंत्री ने कहा है कि ५ आदमी मारे गये थे जिसमें कैशियर थे और शूगर मिल से लोग आये और वहां पर लोगों ने पांच आदिवासियों पर आक्रमण किया और उन्हें खींच कर और निकाल कर जान से मारा। इसके बाद दूसरे कम्पार्टमेंट से दूसरे आदिवासियों को भी मारा गया तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जिस कम्पार्टमेंट से पांच आदिवासी की जान ली गई उस कम्पार्टमेंट में एक आदिवासी लड़की थी या नहीं?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—हुजूर, मेरे पास जो कागजात हैं उनसे मैं यह नहीं कह सकता कि लड़की थी या नहीं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा संख्या में आदिवासी लोग थे, उनमें मर्द भी, औरतें भी और बच्चे भी थे।

श्री इगनेस कुजूर—क्या यह बात सही है कि उस आदिवासी लड़की को आक्रमण-कर्त्ताओं ने मोलेस्ट किया था और जिसके कारण एक आदिवासी जो ककड़ी खा रहा था और जिसके पास एक छुरी थी उसने रिजेन्ट किया और तब उनमें झगड़ा हुआ?

अध्यक्ष—एक ही साथ आप कई सवाल नहीं पूछ सकते हैं। एक एक करके पूछें।

श्री इगनेस कुजूर—मैं यह जानना चाहता हूं कि एक आदिवासी जो ककड़ी खा रहा था और जिसके हाथ में छुरी थी उसकी छुरी से किसी आक्रमणकर्त्ता को चोट लगी या नहीं?

अध्यक्ष—बहुत सी बात अभी विचाराधीन हैं और जांच हो रही है।

श्री इगनेस कुजूर—हुजूर, यह विचाराधीन नहीं है।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—यह केस एस० डी० ओ० के पास है और सबजुडिस है। पुलिस इनवेस्टिगेशन कर रही है। तीन आदमियों को अरेस्ट भी किया है।

श्री इगनेस कुजूर—मैं यह जानना चाहता हूं कि पांच आदिवासी जो मारे गये और तीन आदमी जिनको चोट लगी वे नवादा अस्पताल में ले जाये गये इनके बाद और कितने आदिवासियों को चोट लगी?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—हुजूर, जिनको चोट लगी उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनमें तीन आदमियों के बारे में मैंने कहा है बाकी लोगों को और चोट लगी होगी जो मामूली चोट होगी इसलिए अस्पताल नहीं ले जाये गये।

श्री इगनेस कुजूर—क्या यह बात सही है कि गया की पुलिस ने आदिवासियों को रोक रक्खा और जो कम जख्मी हुए थे उनको अस्पताल नहीं भेजा गया और दूसरे रोज पुलिस एक्सकोर्ट के साथ उनको अपने-अपने घर भेज दिया गया?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है।

श्री इगनेस कुजूर—क्या यह बात सही है कि समूचे ट्रेन में गैर-आदिवासी भी काफी संख्या में थे जिन्होंने घटना को अच्छी तरह से देखा?

अध्यक्ष—यह सवाल जरूरी नहीं है।

श्री इगनेस कुजूर—अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने आदिवासियों से इजहार लिया और क्या-क्या हुआ और सरकार कहती है कि आदिवासियों में आतंक छा गया और वे बतला नहीं सके?

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति, यह सवाल नहीं उठता है।

श्री इगनेस कुजूर—मैं यह पूछता हूं कि ट्रेन में गैर-आदिवासी काफी संख्या में जब मौजूद थे तो पुलिस ने यह क्यों जरूरी नहीं समझा कि इनसे भी पूछा जाय कि यह घटना सही है या नहीं?

अध्यक्ष—यह सवाल कैसे उठता है? पूछने का सवाल कहां है?

श्री इगनेस कुजूर—हुजूर, उनका भी स्टेटमेंट लेना चाहिए था। अच्छा मैं दूसरा पूरक पूछता हूं कि क्या यह बात सही है कि आठ आदमियों में ५ आदिवासी मर गये और एक अस्पताल में मरे और इनके अलावा सिर्फ दो सिरियस इनजूरी वाले सरकार को दिखलाई पड़ते हैं लेकिन बहुत से आदिवासियों को चोट लगी और उनका माल असबाब भी लूटा गया?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—हुजूर, एफ० आई० आर० से पता चलता है कि एक आदिवासी, श्री कतिका मुंडा के पास १२० रुपया था वह ले लिया गया। मैं और दूसरों के बारे में नहीं कह सकता हूं।

श्री इगनेस कुजूर—मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन्होंने आक्रमण किया उन पर किन धाराओं में केस किया गया है?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—३०२, आई० पी० सी० में केस किया गया है और अभी इनवेस्टिगेशन चल रहा है।

श्री इगनेस कुजूर—मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि वारसली गंज में पूरा एक दिन ७३ आदिवासियों को रोक रक्खा गया?

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—हुजूर, यह किसने कहा है कि ७३ आदिवासियों को रोका गया? यह सवाल कहां से उठता है?

श्री इगनेस कुजूर—अच्छा, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आदिवासियों को वहां पर डीटेन किया गया या नहीं?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—हुजूर, गवर्नमेंट को जो खबर है वह यह कि डीटेन नहीं किया गया। ५ आदिवासी मारे गये। तीन इनजूरी वाले को एस० डी० ओ० अस्पताल ले

गये उनमें एक और मर गये। बाकी लोगों को रोक रक्खा नहीं गया बल्कि प्रोपर एक्सकोर्ट के साथ उनके घर भेज दिया गया।

श्री इगनेस कूजूर—मैं यह पूछता हूं कि जितने पैसेंजर डीटेन किये गये उनके बीच गैरआदिवासी थे या नहीं ?

अध्यक्ष—यह आप कैसे जानते हैं। अभी तो इनवेस्टिगेशन चल रहा है।

श्री इगनेस कुजूर—हुजूर, बात यह है कि आई विटनेस सरकार को मिल सकता है लेकिन सरकार लेना नहीं चाहती है।

अध्यक्ष—इसके लिए आप दूसरी कार्रवाई करें। सवाल नहीं पूछ सकते हैं। गाड़ी तो रोक दी गई थी यह एँडमिटेड है तो इस तरह डीटेनशन हुआ है।

श्री इगनेस कुजूर—हुजूर, गाड़ी रोक दी गई और इतने आदिवासी लोग मारे गये और सब लोगों ने इसे देखा भी और वहां पर गवाह भी मौजूद थे लेकिन सरकार कहती है कि हम नहीं जानते हैं।

अध्यक्ष—अभी तो सरकार तहकीकात कर रही है। जितना सरकार को मालूम है उतना ही जवाब दिया जायगा।

श्री इगनेस कुजूर—मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार जिस मशीनरी से इंक्वायरी करा रही है वह मेरे खयाल में सैटिस्फैक्ट्री नहीं है अतः हमारे नेता श्री एस० के० बागे ने जो जुडिशियल इंक्वायरी की बात कही है उसे क्या सरकार कबूल करेगी ?

अध्यक्ष—इस मामले पर सरकार जो कार्रवाई करने जा रही है वह तो पहले ही बता दी गई है।

श्री शरत दास—क्या यह बात सही है कि आदिवासी और नन-आदिवासी में फीलिंग हुई थी ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—फीलिंग होने की कोई बात नहीं है, यह कैजुएल इंसिडेंट था।

श्री शरत दास—केवल वहां आदिवासी मारे गये थे और गैर-आदिवासी मारने वाले थे या देखने वाले थे इसलिये इसमें जरूर कोई बात है और हम इसका जवाब चाहते हैं।

अध्यक्ष—सरकार ने कहा कि आदिवासी और गैर-आदिवासी के बीच कोई फीलिंग नहीं थी।

श्री शरत दास—क्या सरकार यह बता सकती है कि वहां एक रोज पहले भी दुर्घटना हुई थी और यह दुर्घटना उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप हुई है ?

अध्यक्ष—आप नयी बात कह रहे हैं।

श्री शरत दास—क्या सरकार यह बता सकती है कि पहले रोज की घटना में और इस घटना में कोई सम्बन्ध है या नहीं?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—इस मामले की जांच हो रही है इसलिये इस पर कुछ कहना वाजिब नहीं होगा।

श्री एस० एम० अकील—सरकार ने कहा कि दो फर्स्ट इंफौमेंशन हैं, एक स्टेशन मास्टर का और दूसरा एक आदिवासी का और उसी ब्यान पर जांच हो रही है तो हम जानना चाहते हैं कि फैक्ट्स ऑफ अकरेंस जिसे सरकार ने बताया है वह किसके स्टेटमेंट पर बेस करता है?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—एफ० आई० आर० पर और स्टेशन मास्टर और आदिवासी दोनों के स्टेटमेंट पर बेस्ड है। डी० एस० पी० तथा एस० पी० ने इंभेस्टिगेशन किया उस पर भी बेस्ड है। हमने कहा कि "इट इज सेड"।

श्री एस० एम० अकील—आदिवासियों ने जो स्टेटमेंट दिया है क्या सरकार बता सकती है उसमें क्या है; दोनों स्टेटमेंट आइडेंटिकल हैं या नहीं?

अध्यक्ष—इस सवाल को मैं नहीं मानता हूं।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—इस घटना के सम्बन्ध में जो आदमी गिरफ्तार हुए हैं उसमें कैशियर तथा उसके साथ का आदमी गिरफ्तार हुआ है या नहीं?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—कैशियर के पास जो पैसा था उसके बारे में सरकार को कुछ खबर है या नहीं?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—वह रुपया अनटच्ड था।

श्री पुरुषोत्तम चौहान—क्या ऐसा भी कानून है कि २ फर्लांग पर थाना हो और रेलवे जमीन में कोई घटना हो तो जेनरल पुलिस को वहां नहीं जाना चाहिये?

अध्यक्ष—गाड़ी चलती थी और तब गाड़ी रोकी गयी।

श्री पुरुषोत्तम चौहान—लेकिन जुरिस्डिक्शन रेलवे का था ऐसा जवाब में कहा गया है।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—जवाब में ऐसा नहीं कहा गया है।

श्री दारोगा प्रसाद राय—जवाब में ऐसा था।

श्री पुरुषोत्तम चौहान—जब कांड वारसलीगंज में हो रहा था तब वहां की पुलिस क्यों नहीं पहुंची और गया से पुलिस आयी तब जांच शुरू हुई?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—मैं इसकी जांच करूंगा कि वहां की पुलिस पहुंची या नहीं।

श्री पुरुषोत्तम चौहान—वारसलीगंज की पुलिस वहां पहुंची तो कब पहुंची?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—हमारे पास खबर है कि इमिजिएटली पहुंची। कब पहुंची इसकी मैं जांच करूंगा।

श्री हरमन लकड़ा—क्या सरकार इस बात से इंकार करती है कि गाड़ी वहां करीब ३ घंटा खड़ी रही?

अध्यक्ष—सरकार के जवाब से मालूम है कि ९ बजे घटना हुई और जांच ११-२० में शुरू हुई।

श्री हरमन लकड़ा—क्या सरकार को मालूम है कि आदिवासी लड़की को लेकर ही यह झगड़ा शुरू हुआ था?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—मैंने जवाब दिया कि हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें आदिवासी लड़की का कहीं जिक्र नहीं है इसलिये यह झगड़ा कैसे शुरू हुआ कहना अभी मुश्किल है और आपकी बात का हम न समर्थन करते हैं और न उसका कंट्राडिक्शन करते हैं।

श्री हरमन लकड़ा—क्या इस बात की जांच सरकार करेगी?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—जांच तो हो ही रही है।

श्री हरमन लकड़ा—५ व्यक्ति जो मारे गये उनका पुलिस की ओर से आइडेन्टिफिकेशन हुआ है?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—मैं डेफिनिट जवाब तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन पोस्टमार्टम हुआ होगा और फोटोग्राफ भी लिया गया होगा।

श्री हरमन लकड़ा—क्या सरकार बता सकती है कि कौन मरे और कहां के मरे?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—नाम तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि पोस्टमार्टम और फोटो वगैरह जरूर लिया गया होगा।

श्री हरमन लकड़ा—आइडेन्टिफिकेशन के लिये फोटो पेपर में क्यों नहीं पब्लिश हुआ ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—हमने तो कहा कि आइडेन्टिफाई नहीं हुआ है, यह सब कार्रवाई तो की जायगी।

श्री भोलानाथ भगत—सरकार ने बताया कि पहले रोज एक आदिवासी मारा गया और इस तरह वहां एक टेंशन था इसकी खबर सरकार को है या नहीं ?

अध्यक्ष—मारे गये और फिर टेंशन भी था सभी सवाल एक साथ ही पूछ देते हैं ?

श्री भोलानाथ भगत—लूट-मार हुई थी या नहीं ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—डीटेल मेरे पास नहीं है और इसके बारे में प्रश्न भी नहीं है।

श्री शुभनाथ देवगम—एफ० आई० आर० लोकल पुलिस थाने में हुआ या जी० आर० पी० के द्वारा हुआ ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—जी० आर० पी०, पटना का जुरिस्डिक्शन था जहां यह घटना घटी इसलिये उन्होंने ही रिपोर्ट लिया।

श्री शुभनाथ देवगम—कहां रिपोर्ट ली गई ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—केस का एफ० आई० आर० वारसलीगंज थाने में सुपरिंटेंडेंट औफ रेलवे पुलिस ने लिया।

श्री योगेश्वर घोष—मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई कम्पीटेंट अथोरिटी या कोई दूसरा ऐसा उपाय करेगी जिससे पता चले कि यह इंसीडेंट कोई कम्युनल नेचर का था और वहां कलेक्टिव्ह फाइन हो सकता है या नहीं ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—मैंने आपको जवाब में बताया कि गवर्नमेंट इसको कम्युनल नेचर का दंगा नहीं मानती है, इसको कैजुअल इंसीडेंट समझा जाता है।

श्री योगेश्वर घोष—कम्युनल नेचर के दंगा को मानने के लिये कौन-कौन एलिमेंट की जरूरत होती है ?

अध्यक्ष—इसको मैं नामंजूर करता हूं।

श्री त्रिवेणी कुमार—जिस जगह यह घटना हुई उस जगह से वारसलीगंज थाना विजिबुल है या नहीं ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—मैंने कहां कहा कि पुलिस की गलती नहीं थी, जांच हो रही है और उसी के अनुसार कार्रवाई की जायगी।

श्री त्रिवेणी कुमार—पुलिस चाहती तो उसको रोक सकती थी।